

12-11-17



पञ्जाबली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलवाई गई परन्तु वादी की तरफ से वास्तव में कोई अपास्त नहीं। इतना लिखते पर वकील वादी अपास्त है। पञ्जाबली का अवलोकन किया तो पलकी हेतु गलताना सम्मन बाद पत्र पेश करने पक्का, अन्तिम अवसर देने पर एवं Cost पर अवसर दिने जाने पर भी गलताना सम्मन पेश नहीं करने से 6912-5 में बाद खारिज किया गया। पञ्जाबली फंसल शुमार होकर 20 नम्बर से कर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लोक